सं0सं0- 01/सा0सु0 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना- 01/2019 स0क0- 358

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

अतिआवश्यक

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 28/2/19

विषय:- **मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अन्यून आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" अधिसूचित की गयी है।** इस योजना के अन्तर्गत पेंशनधारियों के पेंशन स्वीकृति हेतु पंचायतवार रोस्टर भी समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें 01 मार्च, 2019 से निबंधन कार्य प्रारम्भ किया जायगा। जिला पदाधिकारी आवश्यकता अनुसार रोस्टर में परिवर्तन के लिए सक्षम हैं। इस योजना में पेंशन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को **लोक सेवा अधिकार अधिनियम** के दायरे में लाया जा रहा है। इस कार्य हेतु आर0टी0पी0एस0 साफ्टवेयर में नई योजना का पेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है।

उक्त के आलोक में निर्णय लिया गया है कि -

1. **01 मार्च, 2019 से आवेदकों से आवेदन विहित प्रपत्र में सुसंगत कागजात के साथ प्राप्त किया जाय तथा पंजी में इण्ट्री कर उसकी पावती आवेदक को दी जाय। आर0टी0पी0एस0 के अधिकार साफ्टवेयर में नई योजना का पेज तैयार होते ही उसकी इन्ट्री साफ्टवेयर में कर दी जाय।**
2. **वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने तक SSPMIS (Social Security Pension Management Information System) जिसपर आवेदन स्वीकृति की सम्पूर्ण व्यवस्था है, पर भी सीधे इन्ट्री की जा सकती है।**
3. **आर0टी0पी0एस0 के अधिकार साफ्टवेयर में नई योजना का पेज तैयार होने पर सभी आवेदन आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर ही प्राप्त किये जायें।**

अतः अनुरोध है कि "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" के अन्तर्गत सभी प्रखण्ड में पंचायतवार रोस्टर के अनुसार निबंधन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(अतुल प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

क्र0पृ0उ0....2/

ज्ञापांक- 01/सा0सु0 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना- 01/2019 स0क0- 358 पटना, दिनांक- 28/2/19
प्रतिलिपि-सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 01/सा0सु0 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना- 01/2019 स0क0- 358 पटना, दिनांक- 28/2/19
प्रतिलिपि-श्री मनोज सिन्हा, वरीय प्रबंधक, 3i Infotech, अपना घर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि पत्र के आलोक में **SSPMIS** पर सीधे आवेदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

Ph No. :- 06189-223241 (O)
Fax No. :- 06189 – 223301
E-mail : dm-bhabua.bih@nic.in

ज्ञापांक VIII-3-19/72 /सा0 सु0 दिनांक 01.03.19

प्रतिलिपि:— सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ एवं नगर पंचायत मोहनिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पत्र में निहित निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि:— अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ एवं मोहनिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पत्र में निहित निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

01/03/19

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
कैमूर (भभुआ)